न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 30/2020 तारीख दायर 05/03/2020

मदन मुत. मोड़ा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बालु पिता सेवा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. गोपाल पिता भंवरलाल जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सत्तु पिता खनीराम जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसीलन बिजौलयां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. प्रभूलाल पिता फोकर जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 23/12/2020

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री** विमल प्रकाश तिवाड़ी एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 23 पर अंकित आराजी संख्या 24 रकबा 5–07 बीघा भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी सम्वत 2072–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम हरजीपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 23 पर अंकित आराजी संख्या 24 रकबा 5–07 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि -भीलवाड़ा